परियोजना-3 के लिए प्रपत्र

नोट : (सहायतानुदान मिल जाने पर निमंत्रण पत्र/स्मारिका पर विभाग के प्रति आभार प्रकाशित करना आवश्यक है । इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच से आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम	
2	पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या तथा तिथि	
3	कार्यक्रम का नाम	
4	कर्यक्रम की तिथि	
5	कहां होगा (हाल का किराया दिया है, तो मूल रसीद संलग्न करें)	
6	कितने साहित्यकार/कलाकार/विद्वान हिमाचल प्रदेश के बाहर से आयेंगे (दस से अधिक नहीं होने चाहिए)।	
7	उनका नाम और पता नाम और पताः अनुमानित प्रथम श्रेणी का किरायाः	
8	साहित्यकार/ कलाकार/ विद्वान जो हिमाचल प्रदेश से आयेंगे । उनका नाम और पता : अनुमानित प्रथम श्रेणी का किरायाः	
9	क्या आलेख भी विद्वानों से लिखवाए हैं ।	
10	यदि विभाग के आलेखों के लिए पारिश्रमिक लेना हो तो आलेख विभाग के होंगे और विभाग को ही उन्हें छापने का अधिकार होगा । आलेख की प्रति भिजवायें ताकि पारिश्रमिक की दर निश्चित की जा सके । (अधिकतम सीमा 300/- रुपये) स्तरीय न पाया जाने पर विभाग उसे बिना पारिश्रमिक के वापस लौटा सकता है	
11	क्या प्रकाश और ध्वनि की आवश्यकता है	
12	कितनी धनराशि सहायतानुदान के रूप में अपेक्षित है	

हस्ताक्षर :
पदनाम :
संस्था :

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश :

यह संस्था, इस से पूर्व दो आयोजन अपने स्रोतों से कर चुकी है । मुझे उक्त आयोजन में आमंत्रित किया गया है । पूरी रिपोर्ट आयोजन के उपरांत दे दी जायेगी। सिफारिश की जाती है कि इन्हें ----- रुपये सहायतानुदान दिया जावे ।

जिला भाषा अधिकारी

परियोजना - 3

साहित्यिक/सांस्कृतिक/कला गोष्ठी/सम्मेलन/समारोह हेतु सहायतानुदान

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1 प्रदेश/देश भर में सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना ।

2 किसी एक विषय को लेकर उस पर चिन्तन करना तथा विचारों का आदान-प्रदान करना ।

3 साहित्यकारों/कलाकारों/विद्वानों का सम्मेलन जिसमें विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके ।

2. संस्थायें जिन्हें सहायतानुदान दिया जा सकेगा :

1 संस्था का व्यवसाय केवल इस प्रकार के आयोजन करना ही नहीं होना चाहिए, और

2 संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या

3 संस्था साविधिक होनी चाहिए ।

3 मदें जिनके लिए धन राशि दी जा सकती है :

1 बाहर से आने वाले प्रत्येक कलाकार/साहित्यकार/विद्वान को आने जाने का प्रथम श्रेणी रेल अथवा डीलक्स बस का किराया दिया जायेगा । यह किराया विभाग में उपलब्ध पते के अनुसार प्रतिभागी के निवास स्थान से आयोजन स्थल तक का दिया जायेगा ।

2 जल-पान राशि 30/- रुपये आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व से लेकर आयोजन की समाप्ति तक दी जायेगी।

3 आयोजन हेतु हाल का किराया (वास्तविक रसीद प्राप्ति के उपरांत) चुकाया जायेगा ।

4 आयोजन की अवधि यदि चार घण्टे से ऊपर हो तो प्रति आयोजन प्रति व्यक्ति 5/- रुपये जलपान पर विभाग की ओर से व्यय किया जायेगा ।

5 आलेख प्रस्तोता को योग्यतानुसार 300/- रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जायेगा । यह आलेख विभाग के माने जायेंगे ।

4 प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था :

प्रकाश एवं ध्वनि की व्यवस्था विभाग करेगा तथा उनके चालक को फीस भी विभाग देगा जो रुपये 50/- प्रति आयोजन तक दी जायेगी ।

5 सहायतानुदान की प्रक्रिया :

1 विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचाना होगा ।

2 जिस थियेटर को बुक किया है उसकी मूल रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए ।

3 सहायतानुदान की राशि अनुदान देने की तिथि से तीन मास के भीतर व्यय की जानी होगी अन्यथा पूरी राशि ब्याज सहित वापस ली जायेगी ।

4 धनराशि केवल उसी कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है ।

5 सहायतानुदान प्राप्त संस्था विभाग के अधिकारियों एवं जिला भाषा अधिकारी को आयोजन में आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके ।

6 सहायतानुदान की सीमा :

1 ऐसे आयोजनों के लिए सहायतानुदान की अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये होगी जो निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के स्वविवेक पर स्वीकृत की जायेगी ।

2 ऐसा अनुदान, एक संस्था को एक वर्ष में केवल एक बार ही दिया जायेगा ।

7 उपयोगिता प्रमाण-पत्र :

आयोजन के तुरन्त बाद संस्था के सचिव/प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजे जिसमें खर्चे के विवरण के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया हो कि राशि जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी उसी पर व्यय की गई है ।

प्रपत्र संलग्न है, प्रार्थना पत्र जिला भाषा अधिकारी द्वारा सिफारिशित होना अनिवार्य होगा ।